

2021/161

फर्द अहकाम

गौरी

बनाम जगदीश

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

दिना पत्र/मुकदमा नम्बर : 75/21

क्र. आ. कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13 12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपपक्ष 39-1 पत्रावली वाले बट्टे में पत्र हेतु दिनांक 27/11/22 को पेश हो।	
27/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारण उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/10/23 को पेश हो।	
102/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आशिवस्ता श्री सुधीर शर्मा एवं अप्रार्थी सं. ① लग ④ के आशिवस्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष आशिवस्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बट्टे सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष आशिवस्ता की बट्टे सुनने के पश्चात वादग्रस्त आरजी ख-न. 100, 101, 102, 103, 134, 87, 99 कुल कित 7 कुल रकबा 2.0100 हेक्टर स्थित ग्राम रामजीपुरा प-ड-पाटन बट्टे-बूंगे श्री जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आरजी का ताफेसला वाद मोड़ें की यथास्थिति बनाये रखें एवं अप्रार्थी सं. ① लग ④ 1/2 हिस्से से ज्यादा का बेचान न करें। उक्त आदेश विराहती नामान्तकरण एवं हक्याग पर प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकरील दारखिल दफ्तर हो।	

